

फर्द अहकाम

(विभाग 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सोमसिंह पिता घंट मीणा निवासी लुहारी कलां
बनाम

हरचंदा पिता रामदयाल मीणा निवासी लुहारी कलां वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 33 /2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म की
तामील में जारी हुये

03-04-24

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम छग्गा का झूपड़ा प.ह. लुहारी खुर्द आराजी सं. 1139 कुल किता 01 रकबा 2.0072 हेक्टेयर व ग्राम लुहारी कला प.ह. लुहारी खुर्द आराजी सं. 4448, 793, 794, 795, 796, 797, 798 कुल किता 07 रकबा 2.9219 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम छग्गा का झूपड़ा प.ह. लुहारी खुर्द आराजी सं. 1139 कुल किता 01 रकबा 2.0072 हेक्टेयर व ग्राम लुहारी कला प.ह. लुहारी खुर्द आराजी सं. 4448, 793, 794, 795, 796, 797, 798 कुल किता 07 रकबा 2.9219 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारी कलां को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 3000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 300 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/33/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 33 / 2024 अनवान सोमसिंह पिता चंद्र मीणा निवासी लुहारी कलां बनाम हरचंदा पिता रामदयाल मीणा निवासी लुहारी कलां, रामकुंवार पिता खाना मीणा निवासी लुहारी कलां, रामराज पिता देबी मीणा निवासी लुहारी कलां, रामकरण पिता भुवाना मीणा निवासी लुहारी कलां, हीरा पिता भुवाना मीणा निवासी लुहारी कलां, सोजी पिता सालमा मीणा निवासी लुहारी कलां, महावीर पिता भागुता मीणा निवासी लुहारी कलां, शक्ति सिंह पिता भागुता मीणा निवासी लुहारी कलां, देबी शंकर पिता चतरा मीणा निवासी लुहारी कलां, धन्ना पिता कल्याण मीणा निवासी लुहारी कलां, मथुरा लाल पिता गीला मीणा निवासी लुहारी कलां, सोजीराम पिता गीला मीणा निवासी लुहारी कलां, शंकर पिता गीला मीणा निवासी लुहारी कलां, रामदेव पिता गंगाराम मीणा निवासी लुहारी कलां की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम छरगा का झूपड़ा प.ह. लुहारी खुर्द आराजी सं. 1139 कुल कित्ता 01 रकबा 2.0072 हेक्टेयर व ग्राम लुहारी कला प.ह. लुहारी खुर्द आराजी सं. 4448, 793, 794, 795, 796, 797, 798 कुल कित्ता 07 रकबा 2.9219 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारी कलां को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 3000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 300 रुपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा